न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

अपील संख्या 27 / 2025 तारीख रजू 06.02.2025

1. भंवरलाल पुत्र स्व0 मोरपाल गुर्जर निवासी ग्राम गुडला नदी, तहसील बौंली ।
2. मनराज पुत्र स्व0 मोरपाल गुर्जर निवासी ग्राम गुडला नदी, तहसील बौंली ।
3. चरतलाल पुत्र स्व0 मोरपाल गुर्जर निवासी ग्राम गुडला नदी, तहसील बौंली ।
4. फूल्या पुत्र स्व0 मोरपाल गुर्जर निवासी ग्राम गुडला नदी, तहसील बौंली ।
5. हनुमान पुत्र स्व0 मोरपाल गुर्जर निवासी ग्राम गुडला नदी, तहसील बौंली।

——— अपीलार्थीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार बौंली जिला सवाई माधोपुर। ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति –

श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एडवोकेट – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 05.06.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बौंली द्वारा मिसल संख्या 867 / 2024 मे पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम गुडला नदी के आराजी खसरा नम्बर 768 रकबा 1.25 है0 किस्म चारागाह पर संवत 2081 मे फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 60 दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश सबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अपीलान्टस सख्या 1 लगायत 5 आपस मे खास भाई होकर काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा एक साथ न रहकर प्रत्येक अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग मकानों मे रहते आये हैं। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फरमाया गया निर्णय विधि एव तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय [illegible] पत्रावली पर विधिवत गौर नहीं फरमाया तथा अपीलान्टास को सुनवाई व सबूत [illegible] नहीं दिया। अपीलान्टस को सुनवाई हेतु ना तो धारा 91(3) एलआरएक्ट [illegible] पृथक पृथक नोटिस भेजे और ना ही अपीलान्ट की उचित व वैध [illegible] इसके बिना अनुचित [illegible] रूप से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपीलान्टस के खिलाफ कार्यवाही करते हुए यह एक पक्षीय निर्णय पारित फरमा दिया जो कतई अनुचित व अवैध होने से अपास्त होने योग्य है। यह कि पटवार हल्का ने अपीलान्टस के विरूद्ध चारागाह भूमि खसरा न0 768 रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम गुडला नदी पर सम्वत 2081 में अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त करने की रिपोर्ट बिल्कुल गलत व मिथ्या प्रस्तुत की थी जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्टस द्वारा सन 2081 अथवा उससे पूर्व सन 2080 में कभी भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया और ना ही कोई फसल काश्त की ओर ना ही भविष्य में अपीलान्टस अतिक्रमण करेगा। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का के नियमानुसार सशपथ बयान दर्ज नहीं किये ओर ना ही अपीलान्टस को जिरह हेतु बुलवाया गया साथ ही निवेदन है कि अतिक्रमण बावत तहसीलदार ने मौके पर जाकर जांच नहीं की तथा सत्यतता सामने लाने हेतु आसपास के काश्तकारों से भी पूछताछ नहीं की। मात्र पटवार हल्का के द्वारा दिये गये मिथ्या बयानों को ही सही मानकर निर्णय पारित कर दिया। यह कि पटवार हल्का द्वारा अपने बयानों में एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में पूर्व में किये गये अतिक्रमण का कोई विवरण नहीं दिया है और ना ही घटनाबही अथवा अन्य ऐसा कोई सबूत पेश किया है कि जिससे अपीलान्टस को उक्त भूमि से पूर्व में अतिक्रमी मानते हुए मौके से बेदखल किये जाना साबित होता हो साथ ही निवेदन है कि अपीलान्टस को किसी ऐसे निर्णय कि जानकारी नहीं है कि जिसके द्वारा उन्हें पूर्व में उक्त भूमि पर अतिक्रमी होने का निर्णय किया हो अर्थात अपीलान्टस के अतिक्रमी होने के अलावा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई विधिवत सबूत ना होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस को उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर पेनल्टी व बेदखली के आदेश के अलावा 60–60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर अहम कानूनी भूल की है। यह कि निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के नियमों की कोई पालना नहीं की है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12. 2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थीगण को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिसकी पुस्त पर मुकेश पुत्र की तामील होना अंकित है किन्तु यह किस अपीलान्ट का पुत्र है यह अंकित नहीं है। बहस में अपीलार्थीगण द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि अपीलार्थीगण अलग–अलग मकानों में निवास करते हो। अतः नोटिस में अंकित सभी अपीलार्थीगण में से कोई भी अपीलार्थी बावजूद तामील जानबूझकर नियत दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार अपीलार्थीगण को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थीगण के पश्चातवर्ती [illegible] होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस फर्द, नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। वकील अपीलान्टस ने दौराने बहस एक शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि **ख0नं0 768रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम गुडला नदी से हम अपीलान्टस द्वारा अपना कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में हम अपीलान्टस इस पर कब्जा नहीं करेंगे।** अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मै सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट सिविल कारावास की हद तक आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा/कब्जा–काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.07.09 17:39:02 IST
Reason: SelfAttested